कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–स ... री निदेशक, 122
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झ ... ाँची।

पत्रांकः– .... दिनांकः– ....

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– पर्यटन विभाग, झारखण्ड, सरकार द्वारा राँची वन प्रमंडल अन्तर्गत मौजा ब्राहम्बे में होटल प्रबंधन संस्थान की निर्माण हेतु कुल 4.05 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव।

प्रसंग :– वन विभागीय पत्रांक 1977 दिनांक 21.04.2016

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयगत परियोजना हेतु द्वारा कुल 10 शर्तों पर Stage-I की स्वीकृति प्रदान की गई है। Stage-I में लगाई गई शर्तो का अनुपालन प्रतिवेदन क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची के पत्रांक 685 दिनांक 04.04.2018 द्वारा इस कार्यालय में प्राप्त हुई थी। अनुपालन प्रतिवेदन में कतिपय कमियां/त्रुटियां पाई गई थी। अतः इस कर्यालय के पत्रांक 408 दिनांक 06.04.2018 द्वारा क्षेत्रीय पदाधिकारियों से पृच्छा की गई, तदोपरांत क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची के पत्रांक 893 दिनांक 05.04.2019 द्वारा इस कार्यालय द्वारा पृच्छित बिन्दुओं का निराकरण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था।

विदित हो कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Compensatory levies बिना e-Portal mode के चेक सं0 320070 दिनांक 27.06.2017 कुल रू0 3713090.00 कैम्पा के नाम से निर्गत करते हुये वन प्रमंडल पदाधिकारी, राँची के यहाँ जमा कर दिया गया था। जिससे Web-Portal पर Compensatory levies के कॉलम में Unpaid दिख रहा था तथा अग्रतर कार्रवाई संभव नहीं हो पा रही थी।

अतः वन विभागीय पत्रांक 51 दिनांक 04.01.2018 के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक 975 दिनांक 14.08.2019 द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, राँची एवं प्रयोक्ता अभिकरण को विषयांकित प्रस्ताव हेतु रू0 37,13,090.00 राशि को ई–पोर्टल के माध्यम से ऑन–लाईन जनित करते हुए सीधे झारखण्ड Ad-hoc CAMPA खाता में अविलम्ब जमा करने हेतु निदेशित किया गया। तदोपरांत क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची ने अपने पत्रांक 151 दिनांक 22.01.2020 ने सूचित किया है। कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV एवं CA मद में कुल 37,13,090.00 रू मात्र कैम्पा खाता सं0 520101263743558 Corporation Bank, Lodhi Complex, IFSC-CORP0000371 में RTGS/NEFT के माध्यम से दिनांक 27.08.2019 को जमा किया जा चुका है। उक्त RTGS/NEFT का UTR No. SBIN 319239379466 है।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची के भिन्न–भिन्न पत्रों द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, जो शर्तवार प्रतिवेदन निम्नवत् हैः–

क्र0सं0	शर्तें	अनुपालन
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण यह शर्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा बचनबद्धता दी गई है। **अनु0–I**
2	मा0 सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश मे अनुरूप प्रस्तावित वन भूमि के NPV का भुगतान करना प्रयोक्ता को बाध्यकारी होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV एवं CA मद में कुल 37,13,090.00 रू0 मात्र RTGS/NEFT के माध्यम से दिनांक 27.08.2019 को कैम्पा खाता सं0 520101263743558 Corporation Bank, Lodhi Complex, IFSC-CORP0000371 में जमा किया गया

		है। जिसका UTR No. SBIN 319239379466 **NPV मद में कुल 27,33,540 रू0 (सताईस लाख ते हजार पाँच सौ चालिस रू0 मात्र)** तथा क्षतिपूरक वनरो की राशि 9,79,550 रू0 है। **अनु0–02**
3	यदि NPV के दर में वृद्धि की जाती है, तो बढ़ी हुई राशि का भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण को करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण यह शर्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा बचनबद्धता दी गई है। **अनु0–02**
4	प्रस्तावित संस्थान के निर्माण के क्रम में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन कर कार्य किए जाने वाले 2.93 हे0 वन भूमि के समतुल्य अवकृष्ट वन भूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV एवं CA मद में कुल 37,13,090.00 रू0 मात्र RTGS/NEFT के माध्यम से दिनांक 27.08.2019 को कैम्पा खाता सं0 520101263743558 Corporation Bank, Lodhi Complex, IFSC-CORP0000371 में जमा किया गया है। जिसका UTR No. SBIN 319239379466 है। **CA मद में कुल 9,79,550 रू0 (नौ लाख उनहतर हजार पाँच सौ पचास मात्र)** तथा NPV मद में कुल 27,33,540 रू0 है। **अनु0–02**
5	प्रस्तावित संस्थान के निर्माण के उपरांत खाली स्थलों पर यथासंभव पर्याप्त संख्या के वृक्षरोपण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण यह शर्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा बचनबद्धता दी गई है। **अनु0–03**
6	प्रयोक्त अभिकरण से प्राप्त राशि झारखण्ड CAMPA के खाता में जमा करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV एवं CA मद में कुल 37,13,090.00 रू0 मात्र RTGS/NEFT के माध्यम से दिनांक 27.08.2019 को कैम्पा खाता सं0 520101263743558 Corporation Bank, Lodhi Complex, IFSC-CORP0000371 में जमा किया गया है। जिसका UTR No. SBIN 319239379466 है। **अनु0–02**
7	प्रस्तावित संस्थान के निर्माण के क्रम मे किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण यह शर्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा बचनबद्धता दी गई है। **अनु0–06**
8	प्रस्ताव मे उल्लिखित प्रयोजन से इतर अन्य प्रयोजन के लिए वन भूमि का उपयोग प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण यह शर्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा बचनबद्धता दी गई है। **अनु0–05**
9	भविष्य में यदी भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त शर्त लगाई जाती है, तो प्रयोक्ता अभिकरण को इसका अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण यह शर्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा बचनबद्धता दी गई है।
10	किसी शर्त का अनुपालन नहीं होने की स्थिति में संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकरी उचित माध्यम से वन (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत जारी दिशा–निदेश की कंडिका 1.9 के अनुरूप कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार को प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।	संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा अनुपालन सूनिश्चित किया जायगा।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची से उपरोक्त अनुपालन प्रतिवेदन की दो–दो प्रतियां इस पत्र के साथ संलग्न करते हुये अनुरोध है कि विषयगत परियोजना हेतु अंतिम स्वीकृति प्राप्ति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय। संचिका पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 889 दिनांक 22.10.2020 (124)

प्रतिलिपि :– क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/कार्यपालक अभियंता पर्यटन विभाग F.F.P building, 2nd Floor धुर्वा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि स्टेज–I शर्त का Online अनुपालन प्रतिवेदन एवं संशोधित Compensatory levies Formate इस कार्यालय में समर्पित करना कृपया सुनिश्चित करें।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

22.10.20

H:\Vikash\Kaimuddin Sir\Hotel Management Institute, (4.05 ha) 29.08.18.doc

(86)

झारखण्ड सरकार

कार्यालय – क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची।

वन भवन डोरण्डा, राँची –834002

e-mail- rccfranchi@gmail.com , Ph: (0651) 2481907

पत्रांक 893 दिनांक 05/04/19

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

विषयः– **होटल प्रबन्धन संस्थान ब्राम्बे, राँची के भवन (होटल प्रबन्धन संस्थान) निर्माण हेतु 4.05 हे0 वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :– **भवदीय का पत्रांक 408 दिनांक 06.04.2018**

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक सूचित करना है कि भवदीय के पत्रांक 408 दिनांक 06.04.2018 द्वारा पृच्छित 03 बिन्दुओं पर वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची द्वारा इस कार्यालय में अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया गया है जो निम्नवत है :–

क0 सं0	पृच्छा	अनुपालन प्रतिवेदन
1	CAMPA Fund में राशि FC Portal के माध्यम से चालान generate कराकर जमा नहीं किया गया है।	CAMPA Fund में राशि FC Portal के माध्यम से चालान generate कराकर जमा नहीं करने के संबंध में राँची वन प्रमंडल का प्रतिवेदन अप्राप्त है जिसे समर्पित करने हेतु निदेश दिया जा रहा है।
2	शर्त संख्या 1, 3, 4, 5, 7, 8 एवं 9 के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	शर्त संख्या 1, 3, 4, 5, 7, 8 एवं 9 के संबंध में UA द्वारा undertaking समर्पित है।
3	अनुपालन प्रतिवेदन चार प्रतियों में नहीं है। ज्ञातव्य है कि अनुपालन प्रतिवेदन एवं उससे संलग्न सभी अभिलेखों पर सत्यापन स्वरुप संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर अनिवार्य है।	अनुपालन प्रतिवेदन पाँच प्रतियों में संलग्न है। Remittance of fund in adhoc CAMPA से संबंधित PROFORMA में वन प्रमंडल पदाधिकारी, राँची वन प्रमंडल का हस्ताक्षर एवं मुहर अंकित है।

अतः इस पत्र के साथ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची का पत्रांक 695 दिनांक 29.03.2019 एवं प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन 04 (चार) प्रतियों में सानुलग्नक अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है।

अनु0ः–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

5/4/19

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
राँची।

कैमुद्दीन मियाँ
05/4/19

PCCF Banzar New